प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 121/2004

याचिकाकर्ता - राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, 30-31, राजा हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, जिसका उप कार्यालय एवं कार्यस्थल इसी नाम से जमनीपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

बनाम

अनावेदकगण एम. के. साहा, पिता श्री जे. एल. साहा, ठेकेदार, निवासी आदर्श नगर, प्रोजेक्शन एमके निर्माण, डाकघर दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 122/2004

याचिकाकर्ता - राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, 30-31, राजा हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, जिसका उप कार्यालय एवं कार्यस्थल इसी नाम से जमनीपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण एम. के. साहा, पिता श्री जे. एल. साहा, ठेकेदार, निवासी आदर्श नगर, प्रोजेक्शन एमके निर्माण, डाकघर दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

03-08-2007

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी की ओर से श्री एस. एल. पुरोहित, अधिवक्ता उपस्थित।

2. चूँकि उपर्युक्त दोनों सिविल पुनरीक्षणों का निराकरण दिनांक 06-04-2004 को एक ही आदेश द्वारा किया गया था, अतः दोनों पुनरीक्षणों का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. यह पुनरीक्षण, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा माध्यस्थम् प्रकरण क्रमांक 27/2002 में पारित आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2004 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को पंचाट के आधार पर उसे न्यायालय का नियम बनाने हेतु विचारण करने का प्रादेशिक अधिकारिता प्राप्त है तथा आवेदक का आवेदन परिसीमा से बाधित नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यह प्रकरण पूर्व में दिनांक 01-10-2004 को प्रवेश हेतु स्वीकार किया जा चुका है, अतः आवेदक की अनुपस्थिति के बावजूद इसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पक्षकारों के मध्य संपन्न माध्यस्थम् करार से उत्पन्न विवाद के संबंध में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 28-07-1994 एवं 29-07-1994 को पंचाट पारित किए गए। उक्त मध्यस्थ ने अनावेदक को यह अधिकार प्रदान किया कि वह उक्त पंचाट को विद्वान जिला न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत करे। तदनुसार उक्त पंचाट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा पक्षकारों को विधिवत् सूचना दी गई। दोनों पक्षकार विद्वान जिला न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष उपस्थित हुए और यह आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त न्यायालय को पंचाट के आधार पर उसे न्यायालय का नियम बनाने हेतु प्रादेशिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिला न्यायाधीश, दुर्ग को प्रादेशिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तत्पश्चात् पंचाट को अनावेदक को वापस कर दिया गया और उसके बाद अनावेदक द्वारा उक्त पंचाट जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक की आपत्ति यह थी कि— क्या पंचाट अनावेदक द्वारा मध्यस्थ की वैध प्राधिकृति के बिना प्रस्तुत किया गया था? क्या पंचाट को अनावेदक को वापस किया जा सकता था? तथा क्या पंचाट निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था?

6. विद्वान जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने आक्षोपित आदेश द्वारा आवेदक की आपत्तियों को निरस्त करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि अनावेदक को सक्षम न्यायालय में पंचाट प्रस्तुत करने हेतु मध्यस्थ द्वारा प्राधिकरण-पत्र प्रदान किया गया था। केवल इस कारण कि उक्त प्राधिकरण-पत्र में यह उल्लेखित था कि पंचाट जिला न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, इससे यह निषिद्ध नहीं हो जाता कि आवश्यकता पड़ने पर उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सके। इसी प्रकार यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि पंचाट मध्यस्थ द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अतः जिस न्यायालय को प्रादेशिक अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, वहाँ से पंचाट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वैध रूप से वापस किया जा सकता था। परिसीमा के प्रश्न पर यह माना गया कि पंचाट दिनांक 14-05-1996 को वापस किया गया था तथा तत्पश्चात् उसे दिनांक 24-06-1996 को बिलासपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूँकि पंचाट मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत कराया गया था, अतः परिसीमा के प्रयोजन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 119 के स्थान पर अनुच्छेद 137 लागू होगा, जिसके अंतर्गत पंचाट तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार यह माना गया कि पंचाट विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

8. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की धारा 14(2) निम्नानुसार उपबंधित करती है :—

> "14. पंचाट का हस्ताक्षरित एवं न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना—
> (2) मध्यस्थ अथवा अधिनिर्णायक, माध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार अथवा

उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, अथवा यदि न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाए, तथा माध्यस्थम् एवं पंचाट के संबंध में देय शुल्क एवं प्रभार तथा पंचाट को न्यायालय में प्रस्तुत करने की लागत एवं प्रभार के भुगतान पर, पंचाट अथवा उसकी हस्ताक्षरित प्रति को, उन सभी अभिसाक्ष्यों एवं दस्तावेजों सहित, जो उनके समक्ष लिए एवं सिद्ध किए गए हों, न्यायालय में प्रस्तुत कराएगा; और तत्पश्चात् न्यायालय पंचाट के प्रस्तुत किए जाने की सूचना पक्षकारों को देगा।"

9. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 14(2) का संदर्भ देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकार के अनुरोध पर मध्यस्थ द्वारा पंचाट को न्यायालय में प्रस्तुत कराया जा सकता है, अतः यदि किसी पक्षकार को इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो, तो उसके द्वारा माध्यस्थम् पंचाट प्रस्तुत किए जाने में कोई त्रुटि नहीं मानी जा सकती।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. कुम्भा मावजी बनाम डोमिनियन ऑफ़ इंडिया, एआईआर 1953 एससी 313 के प्रकरण में, अधिनिर्णायक की पंचाट प्रस्तुत करने की प्राधिकृति पर विचार करते हुए, पैरा 6 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त धारा [धारा 14(2)] से यह स्पष्ट रूप से निहित होता है कि जहाँ पंचाट अथवा उसकी हस्ताक्षरित प्रति वास्तव में किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, वहाँ उस कार्य के लिए उसे अधिनिर्णायक की प्राधिकृति प्राप्त होना आवश्यक है। यदि अधिनिर्णायक द्वारा पंचाट पक्षकारों को सौंप दिए जाते हैं, तो केवल पंचाट सौंप देने मात्र से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अधिनिर्णायक ने उन्हें अपनी ओर से न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया है। ऐसी प्राधिकृति का विशेष रूप से अभिकथन एवं प्रमाणन किया जाना आवश्यक है। ऐसी प्राधिकृति के अभाव में, पक्षकार द्वारा पंचाट का प्रस्तुत किया जाना, अधिनिर्णायक द्वारा प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता।

11. जैसा कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पूर्व में ही अभिलक्षित किया गया है, पंचाट को अनावेदक द्वारा मध्यस्थ के प्राधिकरण-पत्र के साथ सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दाखिल किया गया था।

12. आवेदक द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति, जिस पर विद्वान जिला न्यायाधीश ने आक्षोपित आदेश में विचार किया है, यह थी कि जिला न्यायाधीश, दुर्ग का न्यायालय पंचाट एवं प्राधिकरण-पत्र को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु अनावेदक को वापस नहीं कर सकता था। इस तर्क में कोई बल नहीं है। विद्वान जिला न्यायाधीश ने उचित रूप से यह इंगित किया है कि अनावेदक को मध्यस्थ द्वारा प्राधिकरण-पत्र के माध्यम से सक्षम न्यायालय में पंचाट प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अतः पक्षकारों की आपत्ति पर, विद्वान जिला न्यायाधीश, दुर्ग ने उचित रूप से पंचाट को अनावेदक को वापस किया, जिसके पास उक्त पंचाट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का वैध अधिकार था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. आवेदक का अंतिम तर्क यह है कि किसी भी स्थिति में पंचाट न्यायालय में 30 दिनों की निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। पटेल मोतीभाई नारनभाई और अन्य बनाम दीनूभाई मोतीभाई पटेल और अन्य, एआईआर 1996 एससी 997 के प्रकरण में, कंडिका 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में पंचाट प्रस्तुत करने हेतु आवेदन, पंचाट बनाए जाने की सूचना की सेवा की तिथि से 30 दिनों के भीतर, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 119 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अनुच्छेद 119 केवल किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर लागू होता है और मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नहीं, तब भी परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 मध्यस्थ को पंचाट बनाए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित करेगा। वर्तमान प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि मध्यस्थ ने अनावेदक के माध्यम से पंचाट प्रस्तुत कराया तथा इस प्रयोजन हेतु उसने अनावेदक को सक्षम न्यायालय में पंचाट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करते हुए प्राधिकरण-पत्र प्रदान किया था। अतः

परिसीमा के प्रयोजन से परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होगा, जिसके अंतर्गत तीन वर्ष की परिसीमा निर्धारित है। चूँकि पंचाट अनावेदक द्वारा प्राधिकरण-पत्र सहित प्रस्तुत किया गया था, इसलिए विद्वान जिला न्यायाधीश ने उचित रूप से यह माना कि पंचाट मध्यस्थ द्वारा विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था।

14. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त आपत्तियों पर विचार करते हुए तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की आपत्तियों को उचित रूप से निरस्त किया है। उक्त आदेश विधि के अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. चूँकि दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई सार नहीं है, अतः वे निरस्त किए जाने योग्य हैं और तदनुसार निरस्त की जाती हैं।

16. इस आदेश की एक प्रति सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 122/2004 के अभिलेख में भी संलग्न की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(धीरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**